



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062022-236391  
CG-DL-E-08062022-236391

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 406]  
No. 406]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2022/ज्येष्ठ 17, 1944  
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2022/JYAISTHA 17, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2022

**सा.का.नि. 427(अ).**—अंतर्देशीय जलयान (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) नियम 2022 का प्ररूप, जिसे केंद्रीय सरकार 2021 के अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथा अपेक्षित, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 155(अ), तारीख 22 फरवरी, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में 24 फरवरी, 2022 को प्रकाशित किया गया था और इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख के, जिनको उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, से तीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां 24 फरवरी, 2022 से जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और उक्त प्ररूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (यड) से (यत) के साथ पठित धारा 52 की उपधारा (2), धारा 53 की उपधारा (1) और (3) और धारा 54 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

**1. सक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अन्तर्देशीय जलयान (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) नियम 2022 है।

(2)ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं:-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "विद्यमान जलयान" या "विद्यमान अंतर्देशीय जलयान" से ऐसा कोई भी अंतर्देशीय जलयान जो नया अंतर्देशीय जलयान नहीं है, जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (थ) के अधीन दी गई परिभाषा की अधिकारिता के अधीन आता है, अभिप्रेत है;

(ग) "प्रमुख संपरिवर्तन अथवा परिवर्तन" से निम्नलिखित में से कोई भी अभिप्रेत है;

(i) जलयान के सकल टन भार में 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन ;

(ii) जलयान के प्रकार में परिवर्तन ;

(iii) प्रणोदन प्रणाली या मुख्य इंजन या ईंधन के प्रकार में परिवर्तन;

(ड) "नए अंतर्देशीय जलयान" से कोई भी अंतर्देशीय जलयान जिसका पेंदा रखा गया है या जो इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को या उसके पश्चात् निर्माण के समान चरण में है, अभिप्रेत है;

(च) "सहयोगी जलयान" समान योजना से उसी यार्ड में निर्मित जलयान अभिप्रेत है;

(छ) "क्षेत्र" से ऐसे किसी भी अंतर्देशीय जल क्षेत्र जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित अधिकतम महत्वपूर्ण लहर ऊंचाई मानदंडों के आधार पर, क्षेत्र 1, क्षेत्र 2 और क्षेत्र 3 घोषित कर सकती है, अभिप्रेत है:

(i) क्षेत्र 1 से एक ऐसा क्षेत्र जहां अधिकतम महत्वपूर्ण लहर की ऊंचाई 2.0 मीटर से अधिक नहीं है, अभिप्रेत है ;

(ii) क्षेत्र 2 से एक ऐसा क्षेत्र जहां अधिकतम महत्वपूर्ण लहर ऊंचाई 1.2 मीटर से अधिक नहीं है, अभिप्रेत है; और

(iii) क्षेत्र 3 ऐसा क्षेत्र जहां अधिकतम महत्वपूर्ण लहर ऊंचाई 0.6 मीटर से अधिक नहीं है अभिप्रेत है।

(2) प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं की गई हैं, का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में विनिर्दिष्ट किया गया है।

**3. अंतर्देशीय जलयान.-** इन नियमों के प्रयोजन के लिए अंतर्देशीय जलयानों को निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

(1) जो जलयान श्रेणी क में आते हैं, वे निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार के डेकनुमा जलयान होंगे:

(क) जलयान, हाउसबोट्स से भिन्न, जिसकी लंबाई 24 मीटर से अधिक है और हाउसबोट्स जिसकी लंबाई 30 मीटर से अधिक है;

(ख) जलयान जो 50 से अधिक यात्री ले जाते हैं;

(ग) दूसरे जलयानों को खींचने में सक्षम ऐसे सभी जलयान, जिनकी बोलाई पुल क्षमता 10 टन से अधिक है;

(घ) कार्गो के रूप में थोक में पेट्रोलियम माल, रसायन अथवा तरलीकृत गैसों को वहन करने के लिए जलयान;

(ड.) खतरनाक माल वहन करने वाले जलयान; और

(च) 300 टन और अधिक के जलयान ।

(2) श्रेणी 'ख' के जलयान जो श्रेणी क अथवा श्रेणी ग से भिन्न हैं।

(3) श्रेणी 'ग' के जलयान जो लंबाई में 10 मीटर से कम हैं।

**4. अनुपालन की सीमा.-** (1) सभी मौजूदा जलयान अंतर्देशीय जलयान (प्रदूषण के रोकथाम और अंतर्देशीय जल का संरक्षण) नियम, 2016 के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान आवश्यकताओं का पालन करेंगे;

परंतु विद्यमान अंतर्देशीय जलयान जिनमें बड़े संपरिवर्तन या परिवर्तन होते हैं, नामित प्राधिकारी द्वारा उचित और व्यावहारिक माने जाने की सीमा तक इन नियमों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन करेंगे।

परंतु यह और कि विद्यमान अंतर्देशीय जलयानों को इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रदूषण की रोकथाम के लिए परिचालन उपायों का पालन करना है।

(2) सभी नए अंतर्देशीय जलयानों के स्वामी, संचालक या मास्टर, यह सुनिश्चित करेंगे कि जलयान का निर्माण, अनुरक्षण और संचालन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण की आवश्यकताओं और मानकों के अनुसार किया गया है, जैसा कि इन नियमों के अंतर्गत उपबंधित किया गया है, और यह कि जलयान अपनी आशयित सेवा के लिए उपयुक्त है।

**5. प्रमाणीकरण.-** (1) किसी भी अंतर्देशीय जलयान को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन परिकल्पित प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र, जिसे जलयान के साथ ले जाना चाहिए, या वे प्रमाणपत्र जो प्रकृति में परिचालन या प्रक्रियात्मक हैं, जिनका अंतर्देशीय जलयान को इन नियमों के अंतर्गत अनुपालन करना आवश्यक है, तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा जलयान अंतर्देशीय जलयान की भौतिक डिजाइन या सुविधाओं सहित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण की आवश्यकताओं और मानकों का अनुपालन नहीं करता है।

(2) प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के अधीन जारी किए जाने वाले अनुपालन प्रमाणपत्र का प्ररूप अंतर्देशीय जलयान अधिनियम 2021 के क्षेत्राधिकार में होगा और इन नियमों को इन नियमों की अनुसूची 3 में समाविष्ट किया गया है।

(3) अंतर्देशीय जलयान (सर्वेक्षण और प्रमाणन) नियम, 2022 के अनुसार किए जा रहे सर्वेक्षणों के अधीन, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के अनुपालन के प्रमाणपत्र की अधिकतम वैधता पांच (5) वर्ष होगी।

**6. उपकरण मानक और मार्गदर्शन.-** जलयान पर ले जाने वाले उपकरण और मशीनरी, भारतीय मानक ब्यूरो या अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के अधीन होनी चाहिए।

**7. सामान्य दायित्व.-** (1) यह सुनिश्चित करना स्वामी या परिचालक की जिम्मेदारी है कि जलयान को, अधिनियम की धारा 54 के अधीन उपबंधित जलयानों से उत्पन्न सभी कचरे को तट की सुविधाओं में निपटान के लिए उचित रूप से सुसज्जित और अनुरक्षित है।

(2) इन नियमों में उपबंधित अनुसार, एक प्रदर्शित आपात स्थिति के अतिरिक्त, किसी भी प्रदूषक का अंतर्देशीय जलमार्ग में निर्वहन निषिद्ध है और अधिनियम की धारा 3 के खंड (त) और (यग) के लिए अनुसूची 1 में निर्दिष्ट रसायन और पदार्थ इस उद्देश्य के लिए खतरनाक रसायन और आपत्तिजनक पदार्थ होंगे।

(3) चालक दल और यात्रियों को, प्लेकार्ड या अन्य सूचना मोड द्वारा, उपर्युक्त निर्वहन निषेधों के बारे में अधिसूचित किया जाएगा और उन्हें उन स्थानों के बारे में भी अधिसूचित किया जाएगा जहां वे अपने द्वारा उत्पन्न कचरे या प्रदूषक को जलयान पर संग्रहीत कर सकते हैं।

(4) अधिनियम की धारा 111 के अधीन; जैव विविधता, जलीय जीवन और पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के प्रयोजनों के लिए; और अंतर्देशीय जलयानों के नौवहन के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए; पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों और संरक्षित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों से गुजरने वाले सभी अंतर्देशीय जलयानों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का 53) और भारत में तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित लागू मानदंडों और मानकों का पालन करना होगा।

(5) उपनियम (4) के प्रयोजन के लिए, किसी भी अंतर्देशीय जलयान से प्रदूषकों के आकस्मिक रिसाव की स्थिति में; ऐसे जलयान का स्वामी, परिचालक या मास्टर संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में नामित अधिकारियों और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अंतर्गत स्थापित राज्य या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सूचित करेगा।

(6) उपनियम (4) के प्रयोजन के लिए, पहले से हो चुके प्रदूषण या जिसके होने की संभावना है, ऐसे प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से; संबंधित नामित प्राधिकारी या राज्य या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस तरह के रिसाव या निर्वहन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए स्वामी, परिचालक या मास्टर का मार्गदर्शन करने के लिए संयुक्त प्रयास किया जाएगा और इस प्रकार प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा।

**8. कचरा.-** (1) कचरे का निपटान करने के लिए इसे किनारे पर निर्धारित स्थान पर छोड़ा जाएगा और कचरे को जलयान पर जमा रखने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

स्पष्टीकरण : नियमों के इस खंड के प्रयोजन के लिए किनारे पर निर्धारित स्थल सुविधा से एक स्थानीय भंडारण सुविधा पात्र, डिब्बे आदि है, जो टर्मिनल/स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा कचरा एकत्र करने के लिए अधिकृत इकाई द्वारा प्रदान की जाती है।

परंतु उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन अनिवार्य व्यवस्था, स्थानीय अधिकारियों द्वारा संचालन के क्षेत्र के लिए उपयुक्त के रूप में लागू की जा सकने वाली विशेष आवश्यकताओं के पालन से आवश्यक रूप से भिन्न होगी।

(2) दस मीटर या उससे अधिक लंबाई के प्रत्येक अंतर्देशीय जलयान में कूड़ा-करकट के निपटान की आवश्यकताओं के बारे में चालक दल और यात्रियों को सूचित करने वाली तख्तियां प्रदर्शित होंगी।

(3) पचास या उससे अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए प्रमाणित प्रत्येक अंतर्देशीय जलयान में कचरा प्रबंधन योजना होगी और कचरा रिकॉर्ड बुक या कचरे के निपटान के वैकल्पिक तरीके को बनाए रखना होगा। चार घंटे या उससे कम की यात्रा करने वाले जलयान को कचरा रिकॉर्ड बुक बनाए रखने की आवश्यकता से छूट दी जा सकती है।

(4) उपनियम (3) के अधीन अनिवार्य कचरा प्रबंधन योजना:

(i) जलयान पर उपकरण के उपयोग के लिए प्रक्रियाओं सहित कचरे के संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें; तथा

(ii) योजना को पूरा करने के प्रभारी व्यक्ति को पदाभिहित करें।

**9. ईंधन में सल्फर की मात्रा.-** समुद्री ईंधन तेल, समुद्री डीजल, समुद्री गैस तेल या गैस तेल का उपयोग करने वाले जलयानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतर्देशीय जलयानों में उपयोग किए जाने वाले किसी भी समुद्री ईंधन तेल या डीजल की सल्फर सामग्री 0.5% एम/एम से अधिक नहीं होनी चाहिए।

**10. इंजन उत्सर्जन.-** (1) 130 किलोवाट और उससे अधिक के समुद्री डीजल इंजन, जो इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् निर्मित जलयानों पर स्थापित किए गए हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित सीमाओं का पालन करेंगे (एनओ 2 के कुल भारित उत्सर्जन के रूप में गणना), जहां एन = रेटेड इंजन की गति (प्रति मिनट क्रैंकशाफ्ट परिक्रमण):

(i) 14.4 जी/केडब्ल्यूएचजबएन (एन) 130 आरपीएम से कम है;

(ii)  $44 \cdot \text{एन}^{-0.23}$  जी/के डब्ल्यूएच जबएन (एन) 130 या अधिक लेकिन 2,000 आरपीएम से कम है;

(iii) 7.7 जी/के डब्ल्यूएच जब एन (एन) 2,000 आरपीएम या अधिक है।

या समकक्ष, भारत स्टेज मानक।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचनाओं के माध्यम से, विनिर्दिष्ट पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में, उपरोक्त उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट सीमाओं में और कटौती कर सकती है।

**11. तेल/तैलीय अपशिष्ट.-** (1) जलयान और उसके यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली आपात स्थिति को छोड़कर, किसी भी तेल या तैलीय अपशिष्ट/बिलज मिश्रितजल को पानी में नहीं छोड़ा जाएगा, सिवाय इसके कि उपनियम (2) में उपबंधित किए गए सभी उपबंधों का पालन किया जाता है और जलयान पर रखी गई सामग्री को बाद में एक उपयुक्त तटीय निर्धारित स्थल में छोड़ा जाना है और जलयान पर ऐसे सभी निर्वहनों का रिकॉर्ड और रसीद को न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा।

(2) तेल या तैलीय मिश्रण के निर्वहन की शर्तें निम्नानुसार होंगी।

(i) जलयान नियत मार्ग पर चल रहा है;

(ii) तेल मिश्रण को इन नियमों की अनुसूची 3 के भाग 1 की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तेल फ़िल्टरिंग उपकरण के माध्यम से संसाधित किया जाता है;

(iii) बिना तनुकरण के उत्प्रवाह की तेल सामग्री 15 भाग प्रति मिलियन से अधिक नहीं है;

(iv) तेल टैंकों पर कार्गो पंप रूम बिल्ज में तेल मिश्रण उत्पन्न नहीं होता है; तथा

(v) तेल टैंकों के मामले में तेल मिश्रण, तेल कार्गो अवशेषों के साथ मिश्रित नहीं है।

(3) प्रत्येक 'अंतर्देशीय जलयान अनुसूची 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट क्षमता के एक होल्डिंग टैंक या समकक्ष व्यवस्था से सुसज्जित होगा। विद्यमान जलयानों को इन नियमों के लागू होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर इस आवश्यकता का पालन करना होगा।

**12. मलिन जल.-** (1) अंतर्देशीय जलमार्गों में मलिन जल का निर्वहन निषिद्ध है।

(2) सभी नए अंतर्देशीय जलयानों के लिए, जहां मलिन जल उत्पन्न होता है, जलयान पर आरूढ़ व्यक्तियों की संख्या के लिए पर्याप्त क्षमता का एक उपयुक्त मलिन जल शोधन संयंत्र प्लांट/बायो-डाइजेस्टर लगाना अनिवार्य है।

(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, सभी अंतर्देशीय जलयानों में पर्याप्त क्षमता का एक होल्डिंग टैंक होगा, जिसमें जलयान पर उत्पन्न समस्त मलिन जल को बाद में एक तटीय अभिग्रहण सुविधा में निर्वहन के लिए भंडारित करेगा। विद्यमान जलयानों को इन नियमों के लागू होने के दो वर्ष के भीतर इस अपेक्षा का पालन करना चाहिए।

**13. प्रतिदूषक रंगों का उपयोग.-** प्रतिदूषक रंगों में पर्यावरण के लिए हानिकारक ऑर्गनोटिन यौगिकों का उपयोग निषिद्ध है।

**14. इन नियमों के अंतर्गत सर्वेक्षण.-** (1) प्रत्येक अंतर्देशीय जलयान इस उपनियम के खंड (क) से (ड) में विनिर्दिष्ट सर्वेक्षणों के अधीन होगा। विद्यमान जलयान इस उपनियम के खंड (ख) से (ड) में विनिर्दिष्ट सर्वेक्षणों के अधीन होंगे-

(क) जलयान को सेवा में नियुक्त करने से पहले या नियम 6 के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र देने से पहले एक प्रारंभिक सर्वेक्षण पहली बार जारी किया जाना आवश्यक है, जिसमें इसकी संरचना, उपकरण, प्रणाली, व्यवस्था और सामग्री का पूरा सर्वेक्षण अंतर्विष्ट होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी संरचना, उपकरण, प्रणाली, व्यवस्था और सामग्री इन नियमों की अपेक्षाओं का पूर्ण रूप से अनुपालन करती है।

(ख) पांच वर्ष से अधिक के अंतराल पर एक नवीनीकरण सर्वेक्षण होगा, और यह नवीनीकरण सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि संरचना, उपकरण, प्रणाली, व्यवस्था और सामग्री इन नियमों की आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करती है।

(ग) सर्वेक्षण प्रमाण पत्र की प्रत्येक वर्षगांठ की तारीख से पहले या बाद में तीन महीने के भीतर एक वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसमें खंड (क) में संदर्भित संरचना, उपकरण, प्रणाली, व्यवस्था और सामग्री का एक सामान्य निरीक्षण शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन नियमों के उपबंधों के अनुसार उनका रखरखाव किया गया है और वे जलयान की आशयित सेवा के लिए संतोषजनक रहते हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपकरण और संबंधित पंप और पाइपिंग प्रणाली, जिसमें तेल निर्वहन निगरानी और नियंत्रण प्रणाली, तेल-पानी अलग करने वाले उपकरण और लगाई गई तेल निस्पंदन प्रणालियां शामिल हैं, सभी इन नियमों की अपेक्षाओं का पूरी तरह से अनुपालन करते हैं और अच्छी कार्ययोग्य स्थिति में हैं:

परंतु ऐसे वार्षिक सर्वेक्षण सुसंगत जलयान के अधीन जारी प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित किए जाएंगे।

(ड.) जब भी महत्वपूर्ण मरम्मत या नवीनीकरण किया जाता है, परिस्थितियों के अनुसार, एक सामान्य अथवा आंशिक अतिरिक्त सर्वेक्षण किया जाएगा और ऐसा सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए होगा कि आवश्यक मरम्मत या नवीनीकरण

प्रभावी ढंग से किया गया है, और ऐसी सामग्री और कारीगरी मरम्मत या नवीनीकरण सभी प्रकार से संतोषजनक हैं और यह कि जलयान सभी प्रकार से इन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।

(2) इन नियमों के उपबंधों को लागू करने के प्रयोजन से जलयानों का सर्वेक्षण नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा किया जाएगा।

(3) जब सर्वेक्षक यह निर्धारित करता है कि जलयान या उसके उपकरण की स्थिति प्रमाणपत्र के विवरण के साथ पर्याप्त रूप से मेल नहीं खाती है अथवा समुद्री पर्यावरण को नुकसान का अनुचित खतरा उत्पन्न किए बिना जलयान सेवा के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सर्वेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति तुरंत यह सुनिश्चित करेगा कि सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और नियत समय में, नामित प्राधिकारी को भी सूचित करेगा।

परंतु यदि ऐसी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित किया जाएगा।

(4) जलयान के किसी भी सर्वेक्षण के पूरा होने के बाद, ऐसे उपकरण और प्रणाली के सीधे प्रतिस्थापन को छोड़कर, निर्दिष्ट प्राधिकारी की मंजूरी के बिना, ऐसे सर्वेक्षण में शामिल संरचना, उपकरण, प्रणाली, फिटिंग्स, व्यवस्था या सामग्री में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

(5) जब भी किसी जलयान के साथ कोई दुर्घटना होती है या उसमें कोई दोष पाया जाता है जो जलयान की अखंडता या इन नियमों के अंतर्गत उसके उपकरण की दक्षता या पूर्णता को काफी प्रभावित करता है, तो जलयान का मास्टर या स्वामी यथाशीघ्र नामनिर्दिष्ट अधिकारी को अधिसूचित करेगा, प्रमाण पत्र जारी करने का उत्तरदायित्व रखने वाला प्राधिकारी, यह अवधारित करने के लिए कि एक विस्तृत सर्वेक्षण आवश्यक है या नहीं, सर्वेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जांच आरंभ करवाएगा।

**15. प्रमाण पत्र जारी करना या उसका पृष्ठांकन.-** नियम 14 के अधीन प्रारंभिक या नवीनीकरण सर्वेक्षण के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर प्रमाणन प्राधिकारी तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार प्रदूषण के निवारण और संरोधन के अनुपालन का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

### अनुसूची - I (नियम 7 (2) देखें)

कचरे सहित थोक में या पैकेज के रूप में खतरनाक रसायनों या आपत्तिजनक पदार्थों की सूची

खतरनाक रसायन या आपत्तिजनक पदार्थ

एसिटिक एनहाईराइड  
एसीटोन  
एसीटोन साइनोहाइड्रिन  
एक्रोलिन  
एक्रिलोनिट्राइल  
एल्ड्रिन  
आइसोथियोसाइनेट  
एल्युमिनियम फास्फाइड  
अमोनिया (28% जलीय)  
अमोनियम फॉस्फेट  
एमिल मर्कैप्टन  
एनिलाइन  
एनिलाइन हाइड्रोक्लोराइड  
एंटीमोनी कंपाउंड्स  
एट्राज़ीन  
एज़िनफॉस मिथाइल (गुथियन)  
बैरियम अज़ाइड,

बेरियम ऑक्साइड  
 बेंजीन  
 बेंजीनहेक्साक्लोराइड आइसोमर्स (लिंडेन)  
 बैन्जीडाइन  
 बेरिलियम पाउडर  
 ब्रोमिन  
 ब्रोमोबेंज़िल साइनाइड  
 एन-ब्यूटाइल एक्रिलेट  
 ब्यूट्रिक एसिड  
 कैकोडीलिक कंपाउंड्स  
 कार्बेरिल (सेविन)  
 कार्बन डाइसल्फ़ाइड  
 कॉर्बोटेट्राक्लराइड  
 क्लोरिडेन  
 क्लोरो ~ सेटोफेनोन  
 क्लोरोडिनेट्रोबेंजीन  
 क्लोरोफार्म  
 क्लोरोहाइड्रिन (कच्चा)  
 क्लोरोपिक्रिन  
 क्रोमिक एसिड (क्रोमियम ट्रायऑक्साइड)  
 कोकोकुलस (ठोस)  
 कॉपर कंपाउंड्स  
 क्रेसोल्स  
 क्यूप्रीएथिलीनडायमाइन  
 साइनाइड कंपाउंड्स  
 सायनोजेन ब्रोमाइड  
 सायनोजेन क्लोराइड  
 डीओटी  
 डाइक्लोरोएनिलिसिस  
 डाइक्लोरोबेंजीन  
 डायलड्रिन  
 डाइमैथोएट (साइगॉन)  
 डाइमिथाइल एमाइन (40% जलीय)  
 डिनिट्रोअनिलेस  
 4.6-डिनिट्रोउर्थोक्रिसोल  
 डाइनिट्रोफेनॉल्स  
 एंडोसल्फान (थियोडन)  
 एंड्रीन  
 एपिक्लोरोहाइड्रिन  
 एथिल ब्रोमोएसेटेट  
 एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन (2-क्लोरो-इथेनॉल)  
 एथिल पैराथियान  
 फेंटिन एसीटेट (सूखा)  
 फ्लुओसिलिक एसिड  
 हेप्टाक्लोर  
 हेक्साक्लोरोबेंजीन  
 हेक्सएथिलटेट्राफोसोहेट  
 हाइड्रोसायनिक एसिड

हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एन (40% जलीय)  
 आइसोप्रेन  
 लीड कंपाउंड्स  
 लिंडेन (गैमेक्सेन. बीएचसी)  
 मेलाथियान  
 मर्क्यूरिक कंपाउंड्स  
 मिथाइल अल्कोहल  
 मिथाइलीन क्लोराइड  
 मोलासेस  
 नेफ्तालीन (मोल्टेम)  
 नेफ्थलथियोरिया  
 नाइटिक एसिड (90%)  
 ओलियम  
 पैराथियान  
 पैराक्वाट,  
 फिनोल  
 फॉस्फोरिक एसिड  
 फास्फोरस (मौलिक)  
 पॉलीहैलोजेनेटेड बाइफिनाइल्स  
 सोडियम पेंटाक्लोरोफेनेट (घोल)  
 स्टाइरीन मोनोमर  
 टोल्याइन  
 टोल्याइन डायसोसायनेट  
 टोल्याइन डायसोसायनेट  
 टोक्साफीन  
 ट्राइटोलिल फॉस्फेट (ट्रिक्रेसिल फॉस्फेट)  
 2. 4. 5-टी  
 तरलीकृत गैसों (जब थोक में ले जाया जाता है)  
 एसीटैल्डहाइड  
 एनहाइड्रस अमोनिया  
 ब्यूटाडीन  
 बुटान  
 ब्यूटेन/प्रोपरी मिश्रण  
 ब्यूटाइलीन  
 क्लोरीन  
 डाइमिथाइलमाइन  
 एथिल क्लोराइड  
 एथेन  
 ईथीलीन  
 ईथीलीन  
 इथिलीन ऑक्साइड  
 मीथेन (एलएनजी)  
 मिथाइल एसिटिलीन प्रोपेडीन मिश्रण  
 मिथाइल ब्रोमाइड  
 मिथाइल क्लोराइड  
 प्रोपेन  
 प्रोपलीन  
 विनाइल क्लोराइड ~ मोनोमर



एनहाइड्रस हाइड्रोजन क्लोराइड, एनहाइड्रस हाइड्रोजन फ्लोराइड या सल्फर डाइऑक्साइड।

### अनुसूची -II

[नियम 11(2) और नियम (3) देखें]

#### भाग-1

**अंतर्देशीय जलयान के लिए तेल मिश्रण शोधन उपकरण के लिए निर्देश**

**तेल छानने के उपकरण (15 पीपीएम बिल्ज, सेपरेटर):-**

- (1) 15 पीपीएम बिल्ज सेपरेटर कोमजबूती से निर्मित किया जाएगा और उसे जलयान पर इसके इच्छित स्थान को ध्यान में रखते हुए जलयान के उपयोग के लिए उपयुक्त होना चाहिए।
- (2) यदि इसे उन स्थानों में लगाना इच्छित है जहां ज्वलनशील वातावरण विद्यमान हो सकता है, तो ऐसे स्थानों के लिए सुसंगत सुरक्षा नियमों का पालन करें।
- (3) 15 पीपीएम बिल्ज सेपरेटर को इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि यह स्वचालित रूप से कार्य करे। तथापि, कोई खराबी होने की स्थिति में किसी भी निर्वहन से बचने के लिए सुरक्षित व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
- (4) 15 पीपीएम बिल्ज सेपरेटर में, फीड को बिल्ज से ऑयल बिल्ज वाटर और इमल्सीफाइड बिल्ज वाटर में बदलने, या तेल और पानी से हवा में बदलने से 15 पीपीएम से अधिक तेल वाले किसी भी मिश्रण का जलयान पर उत्सर्जन नहीं होगा।
- (5) प्रणाली को परिचालन में लाने के लिए न्यूनतम ध्यान देने की अपेक्षा होगी। इंजन कक्ष में बिल्जहोने की स्थिति में, प्रणाली को परिचालित करने के लिए वाल्व और अन्य उपकरणों में किसी समायोजन की अपेक्षा नहीं होगी। उपकरण बिना ध्यान दिए कम से कम चौबीस घंटे सामान्य प्रयोजन के लिए काम करने में सक्षम होगा।
- (6) 15 पीपीएम बिल्ज सेपरेटर के कार्यरत सभी हिस्से, जिनके क्षतिग्रस्त होने की संभावना है, रखरखाव के लिए आसानी से सुलभ होंगे।

**15 पीपीएम बिल्ज अलार्म:-**

- (1) 15 पीपीएम बिल्ज अलार्म समुद्री पर्यावरण की स्थितियों में जंग का विरोध करेगा।
- (2) कोई भी विद्युत उपकरण जो 15 पीपीएम बिल्ज अलार्म का हिस्सा है, उसे खतरे से मुक्त क्षेत्र में रखा जाएगा।
- (3) एक पीपीएम डिस्प्ले प्रदान किया जाएगा। विनिर्माता के निर्देशों के अनुसार जलयान पर परीक्षण किया जाएगा।
- (4) प्रतिक्रिया समय, वह समय है जो 15 पीपीएम बिल्ज अलार्म को आपूर्ति किए जा रहे नमूने में परिवर्तन और पीपीएम डिस्प्ले के बीच पांच सेकंड से अधिक का नहीं होगा।
- (5) 15 पीपीएम बिल्ज अलार्म 15 पीपीएम बिल्ज सेपरेटर की तारीख, समय और अलार्म स्थिति और परिचालन स्थिति को रिकॉर्ड करेगा।

रिकॉर्डिंग उपकरण भी कम से कम अठारह महीने के लिए डेटा को भंडारित करेगा।

- (6) विनिर्माता के निर्देशों के अनुसार नवीनीकरण सर्वेक्षण में 15 पीपीएम बिल्ज अलार्म की सटीकता की जांच की जाएगी। 15 पीपीएम बिल्ज अलार्म के लिए अंशांकन प्रमाणपत्र, अंतिम अंशांकन जांच की प्रमाणित तारीख, निरीक्षण प्रयोजन के लिए जलयान पर रखी जाएगी।

#### भाग-2

**अंतर्देशीय जलयान के लिए होल्लिंग टैंक:-**

बिल्ज वाटर होल्लिंग टैंक की क्षमता निम्नानुसार होगी:-

150 सकल टन भार से कम या 750 किलोवाट तक के मुख्य इंजन रेटिंग वाले जलयान...। 1.0एम3

जलयान (>150 सकल टन भार और <400 सकल टन भार) या मुख्य इंजन रेटिंग 1000 किलोवाट 1.5 एम3 तक

जलयान (>400 सकल टन भार और <3000 सकल टन भार) या मुख्य इंजन रेटिंग

(>1000 किलोवाट और <20,000 किलोवाट) क्षमता: 1.5+ (पी-1,000)/1,500, एम3

जलयान (>3000 सकल टन भार) या मुख्य इंजन रेटिंग (>20,000 किलोवाट)

क्षमता: 14:2+0.2 (पी\*-20,000)/1,500 एम3

\* (पी = मुख्य इंजन रेटिंग किलोवाट में)

परंतु कि 150 सकल टन भार से कम के अंतर्देशीय जलयानों के लिए, जहां स्थान की कमी के कारण 1.0 एम 3 होल्लिंग टैंक प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी 250 किलोवाट से 750 किलोवाट इंजन रेटिंग के अंतर्देशीय जलयानों के लिए 0.5 एम3 और 250 किलोवाट से कम इंजन रेटिंग के लिए 0.25एम3 होल्लिंग टैंक प्रदान करने की अनुमति दे सकता है।

### अनुसूची - III

[नियम 5(2) देखें]

#### प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र/क्रम सं.-----

#### जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम और पता:

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपकरण, सामग्री, नियंत्रण और शोधन की सुविधा के संबंध में अंतर्देशीय जलयान (प्रदूषण का निवारण और संरोधन) नियम 2022 के सुसंगत उपबंधों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए अंतर्देशीय जलयान.....(अंतर्देशीय जलयान का नाम और आधिकारिक संख्या) का निरीक्षण किया गया है।

अंतर्देशीय जलयान उल्लिखित उपबंधों के अनुपालन को प्रदर्शित करता है और इसलिए अब उक्त अंतर्देशीय जलयान को अनुपालन या अनुरूपता का प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। अनुपालन के इस प्रमाणपत्र की विधीमान्यता ..... को समाप्त हो रही है,

किंतु नीचे दी गई शर्तों के अधीन यह जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद की नहीं होगी:

1. अंतर्देशीय जल के प्रदूषण के निवारण को अन्य कार्यों की तुलना में सदैव प्राथमिकता दी जाएगी।
2. अंतर्देशीय जलमार्ग या पत्तन को प्रभावित करने वाले तेल प्रदूषण या रासायनिक रिसाव की कोई भी घटना नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 का 29) के अधीन गठित अधिकारिता प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या ऐसे अन्य प्राधिकरणों को अधिसूचित की जाएगी जिन्हें भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के आधार पर सूचित किया जाना अपेक्षित है।
3. अंतर्देशीय जलमार्ग या पत्तन परिचालन को प्रभावित करने वाले प्रदूषण के संबंध में अपघटन की किसी भी घटना को नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अधिसूचित किया जाएगा।
4. अंतर्देशीय जल के प्रदूषण के निवारण को प्रभावित करने वाले तैलीय पानी के उपकरण में किसी खराबी या दोष के उत्पन्न होने पर वेसल्स प्राधिकारी को अधिसूचित किया जाएगा।
5. अंतर्देशीय जलयान में किसी भी अतिरिक्त अपेक्षाओं के संबंध में किए गए किसी भी परिवर्तन/संशोधन की समीक्षा करने के प्रयोजन से नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को तुरंत सूचित किया जाएगा।

अनुपालन के सत्यापन की तारीख..... है।

जारी करने का स्थान : .....

जारी करने की तारीख : .....

(जारीकर्ता प्राधिकारी की मुहर या मोहर, जैसा उपयुक्त हो)।

वार्षिक पृष्ठांकन:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

[फा. सं. आई डब्ल्यू टी-11011/91/2021-आईडब्ल्यूटी]

सुनील कुमार सिंह, सलाहकार (सांख्यिकी)

## MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2022

**G.S.R. 427(E).**—Whereas draft of the Inland Vessels [Prevention and Containment of Pollution] Rules, 2022 were published, as required under sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways *vide* number G.S.R. 155 (E) dated the 22<sup>nd</sup> February, 2022 and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) on 24<sup>th</sup> February 2022 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the

expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 24<sup>th</sup> February, 2022;

And, whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 52, sub-sections (1) and (3) of section 53 and sub-section (1) of 54 read with clauses (zm) to (zp) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**1. Short title and Commencement.-** (1) These Rules may be called the Inland Vessels (Prevention and Containment of Pollution) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

**2. Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Inland Vessels Act, 2021(24 of 2021);

(b) “existing vessel” or “existing inland vessel” means any inland vessel which is not any new inland vessel that falls within the ambit of the definition under clause (q) of sub-section (1) of section 3 of the Act;

(c) “major conversion or modification” means any of the following-

- a) change in gross tonnage of the vessel by more than ten per cent.;
- b) change of vessel type;
- c) change of propulsion system or main engines or type of fuel;

e) “new inland vessel” means any inland vessel whose keel is laid or which is at a similar stage of construction on or after the date of coming in to force of these rules;

f) “sister vessel” is a vessel built from the same plans at the same yard;

g) “zone” means any such inland water area, as the State Government may, by notification, declare, depending on the following maximum significant wave height criteria, as Zone 1, Zone 2 and Zone 3-

- (i) Zone 1 means an area where the maximum significant wave height does not exceed 2.0 metres;
- (ii) Zone 2 means an area where the maximum significant wave height does not exceed 1.2 metres; and
- (iii) Zone 3 means an area where the maximum significant wave height does not exceed 0.6 metres.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Inland Vessels.-** For the purpose of these rules, Inland vessels shall be classified as per the following categories-

(1) The vessels which fall in Category A are decked vessels of the following types-

- (a) vessels, other than houseboats, that are more than 24 metres in length and houseboats of more than 30 metres in length;
- (b) vessels that carry more than 50 passengers on board;
- (c) all vessels equipped for towing other vessels, having a bollard pull capacity exceeding 10 tonnes;
- (d) vessels carrying petroleum goods, chemicals or liquefied gases in bulk as cargo;
- (e) vessels carrying dangerous goods; and
- (f) vessels of 300 gross tonnage and above.

(2) Category B vessels are those which are not Category A or Category C.

(3) Category C vessels are vessels of length less than 10 metres.

**4. Compliance by existing inland vessels.-** (1) All existing vessels shall, comply with the requirements of the Inland Vessels (Prevention and Control of Pollution and Protection of Inland Water) Rules, 2016 prior to coming into force of these rules:

Provided that the existing inland vessels that undergo major conversion or modification shall comply with the requirements specified in these rules, as far as it is considered reasonable and practicable by the Designated Authority:

Provided further that the existing inland vessels comply with the operational measures for prevention of pollution specified in these rules.

(2) The owner or master of all new inland vessel, shall ensure that the vessel is constructed, maintained and operated under the requirements and standards for pollution prevention and containment, as per the provisions of these rules and the vessel is suitable for its intended service.

**5. Certification.-** (1) No inland vessel shall be issued with the Prevention of Pollution Certificate envisaged under the Act issued by the Designated Authority, unless such vessel complies with requirements and standards for pollution prevention and containment including the physical design of the inland vessel or facilities that the inland vessel shall carry, or those which are operational or procedural in nature, which the inland vessel is required to comply under these rules

(2) The format of the certificate of compliance for prevention and containment of pollution to be issued under the provisions of the Inland Vessels Act, 2021 and these rules shall be in the format specified in the Third Schedule to these rules.

(3) Subject to surveys being carried out in accordance with the Inland Vessels (Survey and Certification) Rules, 2022, the maximum validity of a certificate of compliance of prevention and containment of pollution shall be for five years.

**6. Equipment Standards and Guidance.-** Equipment and types of machinery are required to be carried on board, shall be as per the standards of Bureau of Indian Standards or International Organisation of Standards.

**7. General Responsibilities.-** (1) It is the responsibility of the owner or operator to ensure that the vessel is properly equipped and maintained for containment and removal of pollutants from all vessels to shore facilities in accordance with the provisions of section 54 of the Act.

(2) Except in the case of a demonstrated emergency, the discharge into an inland waterway of any pollutant, is prohibited and the chemicals and substances specified in the First Schedule shall be the hazardous chemicals and obnoxious substances for the purpose of clause (p) and (zc) of section 3 of the Act.

(3) The crew and passengers shall be notified by placards or another information mode, of the above mentioned discharge prohibitions and they shall be informed on the locations where garbage or pollutants which are generated on the vessel, may be stored on board.

(4) Subject to section 111 of the Act, for the purposes of protecting and preserving biodiversity, aquatic life and environment; and to minimise the damage caused by navigation of inland vessels, all inland vessels passing through areas notified as ecologically sensitive areas and protected areas shall comply with the applicable norms and standards, as prescribed by the Central Government under Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and any other law for the time being in force.

(5) For the purpose of sub-rule (4), in the event of any accidental spill of pollutants from any inland vessel the owner, operator or master of such vessel shall inform the jurisdictional designated authorities of respective State Governments, and the State or Central Pollution Control Boards established under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

(6) For the purpose of sub-rule (4), to mitigate the effects of pollution that is already caused or is likely to be caused, joint efforts shall be adopted by the respective designated authority or the State or Central Pollution Control Board to guide the owner, operator or master to carry out necessary measures to prevent such spill or discharge and thereby to ensure pollution containment.

**8. Garbage.-** (1) Garbage shall be discharged at shore reception facilities and suitable arrangements for the retention of garbage on board shall be provided.

Explanation: Shore reception facility for the purpose of this rule means a local storage facilities, receptacles, bins, etc provided by the terminal or local authority or an entity authorised by the terminal or local authority or State Government to collect the garbage.

Provided that arrangements mandated under sub-rule (1) may be varied to comply with special requirements which may be applied by local authorities for the area of operation, as appropriate.

(2) Every inland vessel of 10 metres or more in length shall display placards informing the crew and passengers of the disposal requirements of garbage.

(3) Every inland vessel certified to carry 50 persons or more shall carry a garbage management plan and maintain a garbage record book and alternative methods of the disposal of garbage and the requirement to maintain a garbage record book may be waived for a vessel engaged on a voyage of four hours or less.

(4) The garbage management plan mandated under sub-rule (3) shall-

- (i) provide procedures for the collection, storage, processing and disposal of garbage, including procedures for the use of equipment onboard; and
- (ii) designate the person in charge of carrying out the plan.

**9. Sulphur content of fuel.-** Vessels using marine fuel oil, marine diesel, marine gas oil or gas oil shall ensure that the sulphur content of any marine fuel oil or diesel used onboard inland vessels shall not exceed 0.5% m/m.

**10. Engine Emissions.-** (1) Marine Diesel Engines of 130 kW and above, which are installed on vessels constructed on or after coming into force of these rules, shall comply with the following limits for the emission of nitrogen oxides (calculated as the total weighted emission of NO<sub>2</sub>), where n= rated engine speed (crankshaft revolutions per minute):

- (i) 14.4 g/kWh when n is less than 130 rpm;
- (ii)  $44 n^{-0.23}$  g/kWh when n is 130 or more but less than 2,000 rpm;
- (iii) 7.7 g/kWh when n is 2,000 rpm or more; or  
equivalent Bharat Stage standards.

(2) The State Government may, by notification, stipulate further reductions to the limits specified in sub-rule (1), in the designated ecologically sensitive areas.

**11. Oil or oily waste.-** (1) Except in an emergency affecting the safety of the vessel and its passengers and crew, no oil or oily waste or bilge mixture water shall be discharged overboard, except when all the provisions provided in sub-rule (2) are followed and the material which is retained onboard shall be subsequently discharged to a suitable reception facility ashore and a record of all such discharges shall be kept onboard, and the receipt shall be kept for a minimum duration of three months.

(2) Conditions for discharge of oil or oily mixtures shall be as follows-

- (i) the vessel is proceeding en route;
- (ii) the oily mixture is processed through and oil filtering equipment meeting the requirements of Part I of Third Schedule to these rules;
- (iii) the oil content of the effluent without dilution does not exceed 15 parts per million;
- (iv) the oily mixture does not originate in the cargo pump room bilges on oil tankers; and
- (v) the oil mixture, in case of oil tankers, is not mixed with oil cargo residues.

(3) Every inland vessel shall be equipped with a holding tank or equivalent arrangement of capacity specified in Part II of Second Schedule and the existing vessels shall comply with this requirement within two years from the date of coming into force of these rules.

**12. Sewage.-** (1) The discharge of sewage into inland waterways is prohibited.

(2) All new inland vessels where sewage is generated are to be provided with an appropriate sewage treatment plant or bio-digester of such capacity sufficient for the number of persons on board.

(3) Notwithstanding sub rule (2), all the inland vessels shall have a holding tank of adequate capacity to store all sewage generated on board, for subsequent discharge into a shore reception facility and the existing vessels shall comply with this requirement within two years from the date of coming into force of these rules.

**13. Use of Antifouling Paints.-** The use of environmentally harmful organotin compounds in antifouling paints is prohibited.

**14. Surveys under these Rules.-** (1) Every inland vessel shall subject to the surveys specified in clauses (a) to (e) of this sub-rule and the existing vessels shall subject to surveys specified in (b) to (e) of this sub-rule-

- (a) an initial survey before the vessel is put in service or before the certificate is issued for the first time, which shall include a complete survey of its structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material so as to ensure that such structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material fully comply with the requirements of these rules;

(b) a renewal survey at an intervals not exceeding five years, and the renewal survey shall be to ensure that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material is fully compliant with the requirements of these rules;

(c) an annual survey shall be conducted within three months before or after each anniversary date of the Certificate, including a general inspection of the structure, equipment, fittings, arrangements and materials referred to in clause (a) to ensure that they have been maintained in accordance with the provisions of these rules, and that they remain satisfactory for this service for which the vessel is intended; and

(d) to ensure that the equipment and the associated pump and piping systems including oil discharge monitoring and control systems, oily-water separating equipment and oil filtering systems, where fitted were fully complying with the requirements of these rules and are in good working order:

Provided that such annual surveys shall be endorsed on the Certificate issued to the relevant vessel.

(e) an additional survey, either general or partial, according to the circumstances shall be made whenever important repairs or renewals are made and such survey shall be to ensure that necessary repairs or renewals have been effectively made and that the material and workmanship of such repairs or renewals are in all respects satisfactory and that the vessel complies in all respects with the requirements of these rules.

(2) Survey of vessels for the purposes of enforcement of the provisions of these rules shall be carried out by the Designated Authority or an Organisation recognised by it.

(3) When the surveyor determines that the condition of the vessel or its equipment does not correspond substantially with the particulars of the Certificate or that the vessel is not fit for service without presenting an unreasonable threat of harm to the marine environment, such surveyor or authorised person shall immediately ensure that corrective action is taken and shall also in due course notify the same to the Designated Authority.

Provided that if corrective action is not taken, the Certificate shall be withdrawn and the Designated Authority shall be notified immediately.

(4) After the survey of the vessel has been completed, no change shall be made in the structure, equipment, systems, fittings, arrangements or material covered by such survey without the sanction of the Designated Authority except the direct replacement of such equipment and fittings.

(5) Whenever an accident occurs to a vessel or a defect is discovered which substantially affects the integrity of the vessel or the efficiency or completeness of its equipment as covered by these rules, the master or owner of the vessel shall report at the earliest opportunity to the Designated Authority responsible for issuing the Certificate, who shall cause investigations to be initiated by the surveyor or the authorised person to determine whether a detailed survey is necessary.

**15. Issue or endorsement of certificate.**- On satisfactory completion of the initial or renewal survey under rule 14 the certifying authority shall issue a certificate of compliance of prevention and containment of pollution as per Form specified in the Third Schedule.

## FIRST SCHEDULE

[See rule 7 (2)]

List of hazardous chemicals or obnoxious substances in bulk or in packaged form including wastes

### Hazardous Chemicals or Obnoxious Substances

Acetic anhydride  
Acetone  
Acetone Cyanohydrin  
Acrolein  
Acrylonitrile  
Aldrin  
Allylthiocyanate  
Aluminium phosphide

Amonia (28% aqueous)  
Ammonium phosphate  
Amyl mercaptan  
Aniline  
Aniline hydrochloride  
Antimony compounds  
Atrazine  
Azinphos methyl (Guthion)  
Baiiumazide,  
Barium oxide  
Benzene  
Benzenehexachloride isomers (Lindane)  
Benzidine  
Beryllium Powder  
Bromine  
Bromobenzyl cyanide  
n-Butyl acrylate  
Butyric acid  
Cacodyliccompounds  
Carbaryl (Sevin)  
Carbon disulphide  
Corbontetrachlrude  
Chloridane  
Chloro~Cetophenone  
Chlorodinitrobenzene  
Chloroform  
Chlorolhydrins(crude)  
Chloropicrin  
Chromic acid (Chromium trioxide)  
Cococculus (Solid)  
Copper compounds  
Cresols  
Cupriethylenediamine  
Cyanide compound  
Cyanogen bromide  
Cyanogen chloride  
DOT  
Dichloroanilices  
Dichlorobenzenes  
Dieldrin  
Dimethoate (Cygon)  
Dimethyl amine (40%aqueous))  
Dinitroanillnes  
4.6-Dinitroorthocresol  
Dinitrophenols  
Endosulphan (Thiodan)  
Endrin  
Epichlorohydrin  
Ethyl bromoacetate

Ethylene chlorohydrin (2-Chloro-ethanol)  
Ethyl parathion  
Fentin acetate (dry)  
Fluosilicic acid  
Heptachlor  
Hexachlorobenzene  
Hexaethyltetraphosphohate  
Hydrocyanic acid  
Hydrofluoric acid n(40% aqueous)  
Isoprene  
Lead compounds  
Lindane (Gammexane. BHC)  
Malathion  
Mercuric compounds  
Methyl alcohol  
Methylene chloride  
Molasses  
Naphtalene (moltem)  
Naphthylthiourea  
Nitric acid (90%)  
Oleum  
Parathion  
Paraquat,  
Phenol  
Phosphoric acid  
Phosphorus (elemental)  
Polyhalogenated biphenyls  
Sodium pentachlorophenate (solution)  
Styrene monomer  
Toluene  
Toluene diisocyanate  
Toluene diisocyanate  
Toxaphene  
Tritolyl phosphate (Tricresyl phosphate)  
2, 4, 5- T  
Liquefied Gases (when carried in bulk)  
Acetaldehyde  
Anhydrous Ammonia  
Butadiene  
Butane  
Butane/Propari mixtures  
Butylenes.  
Chlorine  
Dimethylamine  
Ethyl chloride  
Ethane  
Ethylene  
Ethylene  
Ethylene Oxide



Methane (LNG)  
 Methyl Acetylene Propadiene mixture  
 Methyl Bromide  
 Methyl Chloride  
 Propane  
 Propylene  
 VinylChloride~Monomer  
 Anhydrous Hydrogen Chloride, Anhydrous' Hydrogen Fluoride or SulphurDioxide.

## SECOND SCHEDULE

[See rule 11 (2) and (3)]

### Part -I

#### Prescription for oily mixture treatment equipment for Inland vessel

##### Oil filtering equipment (15 ppm bilge, separator) -

- (1) The 15 ppm bilge separator shall be strongly constructed and suitable for vessel's use bearing in mind its intended location on the vessel.
- (2) It shall, if intended to be fitted in locations where flammable atmospheres may be present, comply with the relevant safety regulations, for such spaces.
- (3) The 15 ppm bilge separator shall be so designed that it functions automatically. However, safe arrangements to avoid any discharge in case of malfunction shall be provided.
- (4) Changing the feed to the 15 ppm bilge separator from bilge to oil bilge water to emulsified bilge water, or from oil and water to air shall not result in the discharge overboard of any mixture containing more than 15ppm of oil.
- (5) The system shall require the minimum of attention to bring it into operation. In the case of engine room bilges, there shall be no need for any adjustment to valves and other equipment to bring the system into operation. The equipment shall be capable of operating for at least twenty-four hours of normal duty without attention.
- (6) All working parts of the 15 ppm bilge separator which are likely to be damaged shall be easily accessible for maintenance.

##### 15 ppm bilge alarm -

- (1) The 15 ppm bilge alarm shall resist corrosion in the conditions of the marine environment.
- (2) Any electrical equipment which is part of the 15 ppm bilge alarm shall be placed in a non-hazardous area.
- (3) A ppm display shall be provided. Onboard testing according to manufacturer's instructions shall be carried out.
- (4) The response time, that is the time which elapses between an alteration in the sample being supplied to the 15 ppm bilge alarm and the ppm display shall not exceed five seconds.
- (5) The 15 ppm bilge alarm shall record date, time and alarm status and operating status of the 15 ppm bilge separator. The recording device shall also store data for at least eighteen months.
- (6) The accuracy of the 15 ppm bilge alarms shall be checked at renewal survey according to the manufacturer's instructions. The calibration certificate for the 15 ppm bilge alarm, certifying date of last calibration check, shall be retained on board for inspection purpose.

### Part-II

#### Holding tank for Inland vessel-

The capacity of bilge water holding tanks shall be as follows: -

Vessels below 150 gross tonnage or main engine rating upto 750 kw.... 1.0 m<sup>3</sup>

Vessels (> 150 gross tonnage and < 400 gross tonnage) or main engine rating upto 1000 Kw 1.5 m<sup>3</sup>

Vessels (> 400 gross tonnage and < 3000 gross tonnage) or main engine rating (>1000 KW and < 20,000 kw)  
 capacity:  $1.5 + (P - 1,000) / 1,500$  m<sup>3</sup>

Vessels (> 3000 gross tonnage) or main engine rating (> 20,000 kw)

Capacity:  $14:2+0.2 (P^*-20,000)/1,500 \text{ m}^3$

\*(P=main engine rating in kw)

Provided that for Inland Vessels of less than 150 gross tonnage, where due to space constraints, it is not practicable to provide  $1.0 \text{ m}^3$  holding tank, the Designated Authority may allow for providing  $0.5 \text{ m}^3$  holding tank for Inland Vessels of 250 kw to 750 kw engine rating and  $0.25 \text{ m}^3$  for less than 250 KW engine rating.

### THIRD SCHEDULE

[See rule 5 (2)]

#### Certificate of compliance for prevention and containment of pollution

Certificate/Serial number-----

#### Name and address of the Issuing Authority:

This is to certify that the Inland vessel (Name and Official Number of the inland vessel) has been inspected to verify the compliance of the relevant provisions of the Inland Vessels (Prevention and Containment of Pollution) Rules, 2022 with respect to equipment, material, containment and treatment facilities. The Inland vessel demonstrates the compliance of stated provisions and therefore Certificate of compliance or conformity is now issued to the subject Inland vessel. The validity of this Certificate of compliance expires on .....from the date of issue, but not later than a period of one year subject to the conditions stated below:

1. Prevention of pollution of inland water shall always be given priority over other operations.
2. Any incidents of oil pollution or chemical spillage affecting the inland waterways or port shall be notified to the Designated authority and to the jurisdictional pollution control boards constituted under the Environment Protection Act, 1986 (29 of 1986) or such other authorities who are required to be informed, by virtue of any other law in force in India.
3. Any incident of casualty with respect to pollution affecting the inland waterways or port operations shall be notified to the Designated authority.
4. Any malfunction or defect in oily water equipment affecting prevention of pollution of inland waters shall be notified to the Designated authority.
5. Any alteration/modification carried out to the inland vessel shall be immediately reported to the Designated Authority for the purpose of conducting review in respect of any additional requirements.

The date of verification of compliance is.....

Place of Issue:.....

Date of Issue:.....

(Seal or stamp of Issuing authority, as appropriate).

#### Annual Endorsements:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT]]

SUNIL KUMAR SINGH, Adviser (Statistics)